UPRN010035142026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1366/2026

निसार पुत्र घसीटे, निवासी ग्राम सिथरा खुर्द, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात।

––प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार।

––अभियोजनपक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–217/2017

धाराः– 138(B) विद्युत अधिनियम।

थानाः– बरौर, जनपद कानपुर देहात।

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः– 410/2019

25–08–2026

प्रार्थी/अभियुक्त निसार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–217/2017, धारा 138(B) विद्युत अधिनियम, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का मुख्य आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा किसी प्रकार की बिजली चोरी नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपना शमन शुल्क जमा कर 152 की कार्यवाही का पत्र प्राप्त कर लिया है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की मांग की गयी।

अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में विद्युत बकाये पर काटे गये संयोजन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर विद्युत उपभोग करते पाये जाने के संबंध में वादी मुकदमा द्वारा धारा 138(B) विद्युत अधिनियम में पंजीकृत कराया गया है, जिसमे बाद विवेचना उसके विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए, उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है एवं उसके द्वारा विद्युत विभाग से जारी धारा 152 विद्युत अधिनियम का प्रपत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।प्रार्थी/अभियुक्त के भाग जाने अथवा साक्षियों को प्रभावित किये जाने के संबंध में कोई युक्तियुक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह मुबलिग 20,000/= रूपये का स्वबन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करें।

2– प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय की अंडर टेकिंग दाखिल करें कि वह न्यायालय में नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहेगा, न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दाखिल प्रपत्रों के सत्यापन में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तोप्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त सकर दी जायेगी।

(अजय कुमार सिंह–II),
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4/
कानपुर देहात।
25–08–2026

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.08.27 12:24:02 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court